Information is Power

No. 2. 2007





A Newsletter on Right to Information (RTI)



A Step Forward in Combating Corruption

Orientation Workshop for Surveyors

CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CUTS CART) with the participation of Partnership of Transparency Fund (PTF) organised a two-day orientation workshop for surveyors of the project 'Combating Corruption in Rajasthan State, India, by Applying RTI Act as a Tool' on June 28-29, 2007 at CUTS CART office, Jaipur.

Under the project, the "Critical Analysis" of the RTI Act *vis-à-vis* the Lokayukta Act 1973, Anti Corruption Act 1988 and Citizen Charters a survey was conducted in Tonk and Jaipur Districts to know perception and factual status on corruption.

The objectives of the workshop were: to orient surveyors to gather responses from the relevant persons the issues mentioned in the questionnaire; to train how to make useful visits to selected government departments for the purpose of conducting the questionnaire survey; to train on collecting adequate supporting data, data feeding in the questionnaire format and primary analysis of the data; and to make the surveyors aware of their survey areas, samplings, time limitations etc.

The Project Management Team from CUTS CART and 14 selected surveyors from different blocks of Jaipur and Tonk districts participated in the workshop. Kavita Verma from the Department of Good Governance, Harish Chandra Mathur – Rajasthan Institute of Public Administration (HCM-RIPA), Jaipur participated as a resource person. The workshop commenced with welcome remarks by George Cheriyan of CUTS CART, who stated that the approach is not to use the project as a weapon against the government machinery but as a tool to curb corruption and related practices that ultimately assure a high degree of accountability in the functioning of the government.

In the Technical Session, Kavita Verma explained the role of "participatory approach" in good governance, highlighting some key characteristics of good governance i.e. accountability and transparency. Then she released



L-R: Sapna Prajapat, George Cheriyan, Kavita Verma, Ajnish Bishwas, Siba Prasad, Deepak Yogi

the first quarterly newsletter titled, "Soochna Hi Shakti Hai (Information is Power)" brought out by CUTS CART. Ajnish Bishwas and Siba Prasad Das from CUTS CART jointly took sessions on the Lokayukta Act 1973, Anti Corruption Act 1988 and Five Citizens Charters. RK Sharma of CUTS CART explained the methodologies/techniques that have to be applied while conducting the Field Survey.

CGCC Formation Process

An encouraging development also took place on day two of the workshop when the surveyors showed interest in joining the Consortium of Groups Combating Corruption (CGCC). They also assured to motivate more active citizens/groups/individuals to associate with the CGCC. The workshop was successful in creating awareness about the project and ensuring the active association of the surveyors for the successful implementation of the project.

INTH	ISISSUE
Divisional Level Workshops	
Block Level Consultation	
• Introduction to the <i>Manch</i>	
• A Success Story 4	
-	4



CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CART)

D-222, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302 016, India • Ph: 91.141.513 3259, 228 2821 Fax: 91.141.228 2039, 228 2485 • Email: cart@cuts.org • Website: www.cuts-international.org



DIVISIONAL LEVEL WORKSHOPS

TUTS CART organised a two-day Divisional Level Workshop for CGCC under the project entitled, "Combating Corruption in the Rajasthan State, India by applying RTI Act as a Tool', for Jaipur Division on July 27-28, 2007 at Rajasthan Institute of Cooperative Education and Management (RICEM), Jaipur. It also organised second workshop for Aimer division on August 06-07, 2007, at the State Institute of Agriculture and Management (SIAM), Tonk.

The workshops were aimed at creating awareness and empowering civil society organisations/community-based organisations (CSOs/CBOs) and vulnerable sections of the community. It also aimed at disclosing the corrupt practices in selected five departments i.e. Panchayati Raj & Rural Development; Police; Revenue; and Food & Civil Supply; and Public Health Engineering Department (PHED) and set a target of filing 500 applications under RTI Act 2005 for CGCC.

Workshop in Jaipur

Welcoming the participants RK Sharma of CUTS CART said that RTI Act is one of the most empowering legislations passed in the post independent India. George Cheriyan informed that CUTS International has been involved in promoting good governance since its inception. CUTS CART team gave a powerpoint presentation on the project covering its background, objectives, major activities, expected outcomes etc. Justice NK Jain, President, State Human Rights Commission, Rajasthan, stated that awareness at every level is key to the effective implementation of the RTI Act. MK Khanna, Secretary, Rajasthan Information Commission (RIC), opined that RTI Act is like 'sword', and its use for/against any person/department depends upon the intention of the user.



Workshop in Tonk

BL Kothari, the Chief Executive Officer (CEO), Zila Parishad pointed out the need to build awareness among the people regarding the use of the Act and explained the procedure for filing application under the RTI Act. Dr Rakesh Ranjan, Convener, Soochna Adhikar Abhiyan (SAA), Madhya Pradesh facilitated the technical session on 'RTI Act, 2005 and explained its potential as a tool to ensure transparency in the government system. During the workshops, CGCC members took the serious decisions to achieve the target of filing 250 the applications under RTI Act in each division i.e. Jaipur and Ajmer by January 31, 2008. Around 80 relevant stakeholders representing various CSOs, CBOs, NGOs, and representatives from funding agencies, and government officials participated.



Block Level Consultations

VUTS CART organised Block Level Consultations under the project 'Combating Corruption in Rajasthan State, India, by Applying RTI Act as a Tool' at Sambhar Lake, Dudu, Chakshu, Shahpura, Kotputli in Jaipur District from August 20-30, 2007.

The consultations aimed to provide a platform to block level official/public representatives and CSOs/voluntary organisations and local people to share their views and to identify the gaps between information provider and information seekers. It also aimed at sharing the findings of the survey conducted in the Month of July 2007. A total of 223 participants, which included public representatives and the

government officials like Pradhans/Zila Adhayaks/Block Development Officer (BDO)/Block Elementary Education Officers (BEEO), attended the consultation.

In the consultation, the effort of CUTS CART towards making people aware of RTI Act was appreciated. Ajnish A Bishwas and AB Paul explained the objectives of the project.

It was felt that awareness level on RTI Act is very low among the people. Participants shared that in Rastriya Rojgaar *Yojna*, Gram Secretaries are misusing the employment card. Atma Ram, a social worker, vowed to file an application under RTI in Sambhar Block. Ramesh Chand said that he approached the BDO office to know about the scheme for the people below poverty line (BPL) but no one told him the schemes. However, in the workshop he came to know about the

Tara Chand Tailor of Shahapura block said that the poor and the down trodden face difficulty in knowing the government schemes at the block level. Ladu Ram, Secretary from Gandhi Vikas Samiti, an NGO, said that the Act will be of much help for the poor rural people to solve their land related issues. The consultation oriented the participants on combating corruption by applying RTI Act as a tool and provided a platform to the people.



BLC in progress in Samber Lake



The implementation of RTI Act is, therefore, an important milestone in our quest for building an enlightened and at the same time, a prosperous society. Therefore, the exercise of the Right to Information cannot be the privilege of only a few.

— Prime Minister Dr Manmohan Singh

अनोंपचारिक मंच का परिचय

जैसा कि आपको विदित है भारतीय संसद ने 12 अक्टूबर, 2005 को 'सूचना का अधिकार' अधिनियम पारित कर शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु जन साधारण की सहभागिता सुनिश्चित की।

'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट) दो दशकों से भी अधिक से जन साधारण की वृहद् सहभागिता एवं विभिन्न संसाधनों/ उपायों द्वारा सुशासन को आगे बढाने की दिशा में प्रयत्नशील है। इसके अतिरिक्त, संस्था शासन व्यवस्था के सभी स्तरों पर पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढाने हेतु कई अभियानों में शामिल है।

इसी श्रृंखला में अग्रसर होते हुए शासन व्यवस्था में सुधार लाने एवं पारदर्शिता को बढ़ाने में कट्स कार्ट का यह कदम जन साधारण के लिए निश्चित रूप से किसी हद तक लाभदायक बनाने का प्रयास इस परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है।

कट्स कार्ट एवं 'पार्टनरिशप फॉर ट्रांसपरेन्सी फण्ड' (पी.टी.एफ.) के संयुक्त तत्वावधान में 'सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा राजस्थान, भारत में भ्रष्टाचार से द्वन्द्व' परियोजना का राज्य स्तरीय शुभारम्भ 18 अप्रेल, 2007 को किया गया। इस परियोजना की अवधि मार्च, 2007 से फरवरी, 2008 (एक वर्ष) की है। प्रारम्भिक तौर पर इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान के दो संभाग जयपुर और अजमेर में किया गया। इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कट्स कार्ट के नेटवर्क से कुछ ऐसी संस्थाओं का, जो अपने स्तर पर कार्य करने में दक्ष और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मुद्दों पर अच्छी समझ रखती है, चयन किया गया।

परियोजना की शुरूआत से ही बहुत ध्यानपूर्वक इन संस्थाओं का चयन किया गया कि लम्बे समय तक संस्था के प्रयासों का प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। इस परियोजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु कन्जोरिटयम ऑफ ग्रुप कम्बाटिंग करप्शन (सी.जी.सी.सी.) है, जो कि एक अनौपचारिक मंच है। सी.जी.सी.सी. का गठन परियोजना की गतिविधियों के तहत संभाग स्तरीय कार्यशाला के दौरान जयपुर और अजमेर संभाग में किया गया। इन दोनों संभागों में अनौपचारिक मंच के कुल 40 सदस्य हैं। इन सभी सदस्यों को संभाग स्तरीय कार्यशाला में विशेष रूप से 'सूचना का अधिकार' का उपयोग तंत्र के रूप में करते हुए भ्रष्टाचार से किस तरह द्वन्द्व किया जाए, का प्रशिक्षण इन कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया गया, तािक परियोजना के अंतिम चरण में निश्चित परिणाम प्राप्त किया जा सके।

चूँकि इस मंच के निर्माण की तैयारियां परियोजना के प्रारम्भ से ही की जा रही थी, शुरूआत से ही संस्थाओं का चयन कर इन्हें परियोजना की प्रत्येक



सी.जी.सी.सी. सदस्य, अजमेर संभाग



सी.जी.सी.सी. सदस्य, जयपुर संभाग

गतिविधियों में इस तरह से शामिल किया गया कि वे इस विषय पर गहराई के साथ अपनी समझ बढा सके। इस मंच के निर्माण का उद्देश्य साधारण नागरिकों में 'सूचना के अधिकार' संबंधी जागरूकता लाना और मंच के माध्यम से भ्रष्टाचार से द्वन्द्व के लिए जन साधारण की पैरवी करना है।

अपेक्षित परिणाम

- सी.जी.सी. पर्याप्त रूप से सभी संसाधनों, जैसे ज्ञान, सूचना, सी.एस.ओ./ सी.बी.ओ. के सक्रिय समर्थन, जागरूक नागरिकों द्वारा सहयोग, जागरूक एवं प्रतिबद्ध सरकारी अधिकारियों एवं भ्रष्टाचार निरोधक संगठनों से सशक्त होगा।
- सी.जी.सी. भ्रष्टाचार के विरोध में किए जा रहे आम नागरिकों, विशेषकर गरीब ग्रामीण नागरिकों के प्रयासों में सहयोग करने में सक्षम होगा। अत: सी.जी.सी.सी. 'सूचना का अधिकार' अधिनियम को लागू करने में एक प्रहरी की भूमिका निभाएगा।
- प्रत्येक सी.जी.सी.सी. को कम से कम 250 आर.टी.आई. के अन्तर्गत आवेदन नागरिकों द्वारा प्रस्तुत करने का लक्ष्य दिया गया है। अत: नागरिकों द्वारा 500 आवेदन, जो कि नागरिकों की शिकायतों से सम्बन्धित हैं, जयपुर और अजमेर संभाग में दिए जाएंगे। ये आवेदन पत्र पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्ट अधिकारियों को निरूत्साहित करेंगे।
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए तंत्र का आलोचनात्मक सूक्ष्म विश्लेषण सरकार पर समय पर प्रभावी निर्णय लेने और भ्रष्टाचार की गतिविधियों को काबू पाने में सहायक है। यह प्रक्रिया विकास को बढावा देने और गरीबी को कम करने में सहायक होगी।
- इसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही बनाई जा सकती है। वैध अभिपूर्ति, सूचना का अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार पत्र और दूसरे अधिनियम और पुस्तिका अब और अधिक पन्नों की बजाय, आम नागरिकों को यह अधिनियम सूचना प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत अधिकार प्रदान करता है।
- यह परियोजना भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यवाही/आंदोलन चलाने में सहायक होगी। त्रैमासिक न्यूजलेटर और अंतिम दस्तावेज भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जागरूकता लाने और सी.जी.सी.सी. के लिए पैरवी करने के लिए एक बहत ही प्रभावी तंत्र है।

'सूचना का अधिकार' अधिनियम, 2005

एक शक्त बानगी

अजमेर जिले के आरंई विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बोराडा के ग्राम बोराडा के दो व्यक्तियों श्री सुरेश चन्द जैन एवं भंवरलाल गुर्जर ने माह मई 2007 में अपने मकान के लिए पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत में नियमानुसार राशि जमा करवाकर 30 मई, 2007 को रसीद प्राप्त की थी।

रसीद प्राप्ति के दो महीने बाद पंचायत सचिव से दोनों व्यक्तियों ने पट्टे के बारे में जानकारी चाही, पर लगातार एक ही जवाब मिला कि पट्टे की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि दोनों व्यक्तियों को पट्टे की आवश्यकता होने लगी एवं रसीद प्राप्ति को भी काफी समय निकल चुका था।

दोनों व्यक्ति श्री अशोक विश्नोला, लोक विकास संस्थान, सरवाड़, जिला अजमेर जो कि सूचना का अधिकार पर कट्स द्वारा चलाई जा रही परियोजना के तहत सी.जी.सी.सी. सदस्य हैं, और अजमेर संभाग में कार्य कर रहे हैं, के सम्पर्क में आये। उन्होंने अपनी समस्या को विस्तार से बताया और इस संस्था के सदस्य भी उसी दौरान टोंक में 'कट्स' द्वारा आयोजित 'सूचना का अधिकार' अधिनियम पर संभाग स्तरीय कार्यशाला से प्रशिक्षण प्राप्त कर

उन्हें यह मुद्दा 'सूचना का अधिकार' के अन्तर्गत उठाये जाने के लिए उपयुक्त लगा और दिनांक 2 सितम्बर 2007 को 'सूचना का अधिकार 'अधिनियम के अन्तर्गत दोनों व्यक्तियों के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद आश्चर्यजनक परिणाम उन व्यक्तियों को मिले एवं सिर्फ सात दिन के बाद ही उन्हें पट्टे प्राप्त हो गये।



यह भ्रष्टाचारी बंद करो !

यह भ्रष्टाचारी बंद करो। यह भ्रष्टाचारी बन्द करो॥ ना गरीब किसान को तंग करो। ना गरीब किसान को तंग करो।। जो यह अफसर सरकारी है। यहां होती खुब दगारी है।। ना इनकी कोई एन्क्वारी है। यह भ्रष्टाचारी बन्द करो। यह भ्रष्टाचारी बंद करो।।

कहते हैं पहले भेंट दो, यह दफ्तर सरकारी है। तनख्वाह से भरता पेट नहीं, रिश्वत की लगी बिमारी है। यह भ्रष्टाचारी बंद करो। यह भ्रष्टाचारी बंद करो।।

जो आए गरीबी अनुदान, वह आधा ही रह जाता है। कुछ जाए सचिव की जेबों में, कुछ बाबू ही खा जाता है। यह भ्रष्टाचारी बंद करो। यह भ्रष्टाचारी बंद करो।।

इन बिजली वालों को देखो। ना लाईट समय पर देते हैं। फसलों को यह बर्बाद करें। बिल मोटा भर देते हैं। यह भ्रष्टाचारी बंद करो।। यह भ्रष्टाचारी बंद करो।

जो यह डॉक्टर सरकारी है। ना मिले कभी यह इयूटी पर, यह निजी रूम में रहते हैं। जहां इनकी फीस भारी है। यह भ्रष्टाचारी बंद करो। यह भ्रष्टाचारी बंद करो।।

बैंक तहसील थाने है। अडे जनता की लाचारी है। गमदुर तो सच्ची लिखता है ना लिखने से पाबन्द करों। यह भ्रष्टाचारी बंद करो। यह भ्रष्टाचारी बंद करो।।

- गमदूर सिंह, उपसरपंच ग्राम पंचायत बड़ा नया गांव पं. सं. हिण्डोली (बूंदी-राजस्थान)



REVERSE CORRUPTION ficial bribes RTI applicant to withdraw AN THE Right to Information nome corruption — a government of the control information.



सुवना का अधिकार प्रभावी सरकार से हिसाब मांगना जनता का अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्वभारत अव्योजित